भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 408
दिनांक 22.08.2000 को उत्तर के लिए

राजभाषा को बढ़ावा

*** 408. श्री ब्रह्मानंद मंडल:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिंदी भाषा को देश की राजभाषा घोषित किये जाने के बावजूद यह व्यापक प्रयोग में नहीं आ पाई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उत्तर
गृह राज्य मंत्री (श्री आई.डी.स्वामी)

(क) से (ग): राजभाषा घोषित किए जाने के बावजूद हिंदी भाषा व्यापक प्रयोग में नहीं आ पाई है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा । संघ की राजभाषा घोषित क्ए जाने के बाद से सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप से बढ़ा है, इसे नकारा नहीं जा सकता । राजकीय संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा राजकीय कागज-पत्र, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र और निविदाएं सभी हिंदी में जारी होते हैं । संसद में पेश किए गए विधेयक इत्यादि हिंदी में भी प्रस्तुत किए जाते हैं । फाइलों पर टिप्पणियां और मूल पत्राचार हिंदी में हो रहे हैं । हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाते हैं ।

हां, यह स्वीकार करना होगा कि हिंदी के प्रयोग में अभी भी उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी कि अपेक्षित है । सरकार इस विषय में पूरी तरह सचेत है और लगातार आवश्यक कार्रवाई कर रही है । प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना की नीति पर चलते हुए राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने और उसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी चला रही है । हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार सभी उपलब्ध प्रचार माध्यमों का उपयोग कर रही है ।

कार्मिकों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें हिंदी भाषा. टंकण, आशुलिपि तथा अनुवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है । साथ ही कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए एक अभियान चल रहा है ।

सरकार राजभाषा हिंदी के विषय में अपने संवैधानिक दायित्वों की ओर पूर्णतः सचेत है और उनको निभाने के प्रति पूर्णत: कटिबद्ध है ।